बाइक सवार भाइयों को वाहन ने रौंदा, तीन की मौत

एटा : श्राद्ध में शामिल होने फिरोजाबाद से एटा आ रहे थे, चालक की तलाश कर रही पुलिस

अमर उजाला ब्यूरो

एटा। टूंडला रोड पर शुक्रवार देर रात हुए दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। मृतक आशु (19), करन (18) और सुमित (20) रिश्ते में भाई लगते थे।

तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर टूंडला की ओर आ रहे थे। किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था। अवागढ़ क्षेत्र में चुरथरा मोड़ के पास सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। आशु की मां नीतू की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सुमित। फाइल

करन। फाइल

आशु। फाइल

अज्ञात वाहन की टक्कर से दो की मौके पर मौत हो गई। आशु ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वाहन चालक की तलाश की जा रही है। - ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीओ

निधौली कलां क्षेत्र के गांव मुमिया खेड़ा निवासी आशु की दो बुआ फिरोजाबाद के ककरऊ कोठी, सत्यनगर (थाना उत्तर क्षेत्र) में रहती हैं। पांच दिन पहले आशु बुआ के घर गया था। शनिवार को आशु की दादी का श्राद्ध था। इसमें शामिल होने के लिए वह शुक्रवार रात अपने गांव मुमिया खेड़ा के लिए निकला। दोनों बुआ के बेटे करन (18) और सुमित (20) भी उसके साथ नेहाल के लिए चल पड़े। रास्ते में हादसा हो गया। आरोपी वाहन चालक भाग निकला। गंभीर रूप से घायल तीनों भाई हाईवे पर पड़े रहे। राहगीरों की सूचना पर अवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन के पहिये से कुचलने के कारण सुमित और करन की मौके पर ही मौत हो गई थी।

घटना स्थल पर मिला कार के बंपर का टूटा हिस्सा:

हादसे में तीन युवकों की मौत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वाहन की तलाश की जा रही है। एसएसपी डॉ. इलामारन जि. ने मीका मुआयना किया। मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर बाइक में कार की टक्कर मारना प्रतीत हो रहा है। एसएसपी ने बताया कि घटनास्थल पर कार के बंपर का हिस्सा मिला है।

आशु को गंभीर हालत में एटा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। तीनों की मौत की खबर से परिवार में चीख-पुकार मच गई।

मृतकों के परिवारों में मचा कोहराम

फिरोजाबाद। पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर अपने पुरखों के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए घर से निकले दो युवकों की जिंदगी का सफर एटा के अवागढ़ क्षेत्र में एक तेज रफ्तार वाहन ने हमेशा के लिए थाम दिया।

इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले करन (18) और सुमित (20) की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मचा है। देर शाम जैसे ही शव घरों पर पहुंचे, माहौल गमगीन हो गया। हादसे में जान गंवाने वाला 18 वर्षीय करन तीन भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर का था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने महज कक्षा चार तक ही पढ़ाई की थी और चूड़ी का बेलन लगाने का काम करके घर चलाने में मदद करता था। संवाद

डिप्टी एसएस लोको पायलट भिड़े, तीन घायल

वीडियो बनाने पर लोको पायलट ने बॉक्स पोर्टर का सिर फोड़ा

संवाद न्यूज एजेंसी

दूंडला। न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन पर तैनात सहायक स्टेशन अधीक्षक (डिप्टी एसएस) और लोको पायलट में ट्रेन की बुकिंग को लेकर विवाद हो गया।

विवाद की वीडियो बना रहे स्टेशन पर तैनात संविदा कर्मचारी बक्स पोर्टर का लोको पायलट ने पत्थर से सिर पर प्रहार कर गंभीर घायल कर दिया। हालत को बिगड़ता देख मौके पर आरपीएफ व थाना पुलिस पहुंच गई।

डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसी) के न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर शाम करीब आठ बजे गुड्स ट्रेन के क्रू को बदलने को लेकर स्टेशन पर तैनात डिप्टी एसएस और लोको पायलट के बीच विवाद हो गया।

न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन पर मारपीट में घायल बॉक्स पोर्टर। संवाद

- मामला बिगड़ता देख मौके पर आरपीएफ और थाना पुलिस पहुंच गई। झगड़े में दोनों ओर की लगभग करीब 20 मिनट प्रभावित रही। आरपीएफ के कंपनी कमांडर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। वहीं, थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी।

देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई हो गई, तभी घटना की वीडियो बना रहे बक्स पोर्टर राहुल निवासी टूंडला, थाना टूंडला व अन्य दो पर लोको पायलटों ने वीडियो बनाने का विरोध करते हुए उसका पत्थर से सिर फोड़ दिया। हादसे में बक्स पोर्टर और उसके साथी गंभीर घायल हो गए।

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India

आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नं. एच-2, ताज नगरी फेज 2, फतेहाबाद रोड, आगरा

ई-नीलामी 27.10.2026

चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तारीख और समयः 27.10.2026, शुक्र 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक, बंद होने से पहले आखिरी 10 मिनट में बोली लगने पर ऑटो एक्सटेंशन क्लॉज के साथ।

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, नियम 8(6) और 6(2), 9(1) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002.

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित (चल और अचल संपत्ति/ संपत्तियां) जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/ बंधक/ गिरवी रखी गई हैं, जिसका रचनात्मक/ भौतिक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा से लिया गया है, उसे 27.10.2026 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा।

क्र. नं.	ऋणी एवं गारंटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण
	शाखा: कमला नगर, (संपर्क: 8650568665)	
1.	**उधारकर्ता: श्री मनोज शर्मा** पुत्र राम गोपाल शर्मा **पताः** फ्लैट नं. 108, द्वितीय तल, श्री राम विहार, गुम्मत, बल्केश्वर, आगरा– 282006, मो. नं. –9536594413. **बकाया राशिः रू. 9,48,889.18 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	संपत्तिः फ्लैट नं. 108 का सांयिक बंधक, द्वितीय तल, खसरा नं. 1060, 1017, 1009, श्री राम विहार गुम्मत, मौजा गटवासन, बल्केश्वर, आगरा में स्थित है। **मालिक का नाम मनोज शर्मा पुत्र राम गोपाल शर्मा।** **विक्रय विलेख के अनुसार चौहद्दीः पूर्व में:** कोरिडोर, **पश्चिम में:** खुला आरसमान, **उत्तर में:** फ्लैट नं. 107, **दक्षिण में:** अन्य की संपत्ति **ज्ञात भारः शून्य।** आरक्षित मूल्यः 10,12,000 अग्रिम धनराशिः 1,01,200 सांकेतिक
2.	**श्री सुखपाल सिंह** पुत्र सुरेन्द्र सिंह (ऋणी–बंधककर्ता)। **श्रीमती बलजीत और भोजवानी** पत्नी सुखपाल सिंह (सह–ऋणी – बंधककर्ता)। **पताः** फ्लैट नंबर एस–9, द्वितीय तल, बलदेव आशियाना फ्लोर, महर्षिपुरम, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर जोकि श्री सुखपाल सिंह और श्रीमती बलजीत कौर भोजवानी के नाम पर स्थित है। **बकाया राशिः रू. 26,94,948.83 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	सम्पत्तिः फ्लैट नंबर एस–9, द्वितीय तल, बलदेव आशियाना फ्लोर, महर्षिपुरम, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर जोकि श्री सुखपाल सिंह और श्रीमती बलजीत कौर भोजवानी के नाम पर स्थित है। **चौहद्दीः पूर्वः** फ्लैट नंबर एस–10, **पश्चिमः** अन्य सम्पत्ति, **उत्तरः** कॉमन एरिया और गेट, **दक्षिणः** फ्लैट नंबर एस–08. **ज्ञात भारः शून्य।** आरक्षित मूल्यः 31,36,000 अग्रिम धनराशिः 3,13,650 सांकेतिक
	शाखा: न्यू आगरा, (संपर्क: 9690491881)	
3.	**ऋणी: श्री राकेश कुमार** पुत्र दाऊ दयाल (बंधककर्ता), पता 1: 37/411, नगला पाडी, सिधी हवेली, वार्ड नं. 25, नगला पाडी, नगर निगम, आगरा 282005. **सह–ऋणी: श्री गोविंद** पुत्र राकेश कुमार, पता 1: 37/411, नगला पाडी, सिधी हवेली, वार्ड नं. 25, नगला पाडी, नगर निगम, आगरा 282005. **जमानतकर्ताः श्री कान्हा** पुत्र राकेश कुमार, पता 1: 37/411, नगला पाडी, सिधी हवेली, वार्ड नं. 25, नगला पाडी, नगर निगम, आगरा 282005. **बकाया राशिः रू. 18,41,903.18 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	सम्पत्तिः सम्पत्ति प्लॉट नं. 5, नगर निगम नंबर 38/बीवी/5ए, नगला पाडी, मोहल्ला बागा कॉलोनी, हरिपर्वत वार्ड, तहसील और जिला– आगरा उ.प्र., जिसका क्षेत्रफल 80. 26 वर्ग मीटर जोकि श्री राकेश कुमार पुत्र दाऊ दयाल के नाम पर स्थित है। **चौहद्दीः उत्तरः** अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, **दक्षिणः** रास्ता 3.03 मीटर चौड़ा और सतीश अग्रवाल का घर, **पूर्वः** पप्पू ठेकेदार का घर, **पश्चिमः**– सतीश अग्रवाल का घर। **ज्ञात भारः शून्य।** आरक्षित मूल्यः 21,42,000 अग्रिम धनराशिः 2,14,200 सांकेतिक
	शाखा: ताज बुलंद, (संपर्क: 9690491881)	
4.	**1. स्वर्गीय श्री सतीश कुमार** पुत्र श्री छोटे लाल (ऋणी) की संपत्ति के कानूनी वारिसों द्वारा **श्रीमती रमा देवी** पत्नी स्वर्गीय श्री सतीश कुमार (व्यक्तिगत क्षमता में, साथ ही नाबालिग कानूनी वारिसों के नैचुरल गार्जियन) **पताः** नई आबादी, महादेव नगर, राजेश्वर मंडी, शमशाबाद रोड, आगरा 282001. **2. श्री राम गोपाल** पुत्र श्री चंद (जमानतकर्ता), पताः नई आबादी, महादेव नगर, राजेश्वर मंडी, शमशाबाद रोड, आगरा 282001. **बकाया राशिः रू. 12,29,293.15 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	सम्पत्ति विवरणः आवासीय मकान खसरा नं. 13 का भाग, नई आबादी, महादेव नगर, राजेश्वर मंडी, शमशाबाद रोड, आगरा 282001, जिसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर, जोकि श्री सतीश कुमार पुत्र श्री छोटे लाल के नाम पर स्थित है। **चौहद्दीः उत्तरः** राजेश का प्लॉट, **दक्षिणः** दूसरों का प्लॉट, **पूर्वः** रास्ता 5.4 मीटर चौड़ा, **पश्चिमः** जौहर खान का प्लॉट। **ज्ञात भारः शून्य।** आरक्षित मूल्यः 11,54,500 अग्रिम धनराशिः 1,15,450 सांकेतिक
	शाखा: आगरा, (संपर्क: 9011940740)	
5.	**उधारकर्ताः श्री योगेश कुमार शर्मा** पुत्र भगवान सहाय शर्मा (बंधककर्ता) **पता 1:** मनं. 422 गायत्री मन्दिर गार्डन सिकंदरा आगरा, आगरा, उ.प्र. –282007. **सह–उधारकर्ताः श्वेता चौहान** पत्नी योगेश कुमार शर्मा **पता 1:** 317 सेक्टर 12 डी आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा बोडला आगरा, उ.प्र.–282007 **जमानतकर्ताः श्री प्रवीन चौहान** पुत्र नत्थू सिंह चौहान **पता 1:** 317/12डी आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा आगरा, उ.प्र. –282010 **बकाया राशिः रू. 34,19,528.60 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	संपत्तिः आवासीय सम्पत्ति मकान नं. 113, ओम श्री टाउन (कैलाश विहार फेज IV), मौजा रजवई, शमशाबाद रोड, तहसील एवं जिला आगरा 282004 में स्थित जिसका क्षेत्रफल– 125.18 वर्ग मीटर, जोकि श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा के नाम पर स्थित है। **चौहद्दीः उत्तरः** श्री मेंo की संपत्ति, **दक्षिण में–** 9 मीटर चौड़ा रास्ता फिर पार्क, **पूर्व में–** अन्य का प्लॉट, **पश्चिम में–** मनं. 114. **ज्ञात भारः शून्य।** आरक्षित मूल्यः 17,01,000 अग्रिम धनराशिः 1,70,100 सांकेतिक
6.	**ऋणी: श्री नीरज कुमार** पुत्र महेश चंद (ऋणी – बंधककर्ता), पताः मकान नं. 27, ग्राम जनारा बसरौली कटारा किरोली, आगरा, उत्तर प्रदेश 282006. **जमानतकर्ताः श्री राजेंद्र शर्मा** पुत्र लक्ष्मी नारायण, पताः 319, चमरौली मोड़, शमशाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश 282001. **बकाया राशिः रू. 11,52,423.28 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	संपत्तिः आवासीय संपत्ति, मकान नं. 73 का सांयिक बंधक भाग, नालंदा आशियाना ख, संख्या 25 और 208, मौजा नौबरी/ राजावास, आगरा, क्षेत्रफल 43.48 वर्ग मीटर, मालिक का नाम श्री नीरज कुमार पुत्र महेश चंद। **चौहद्दीः पूर्वः** प्लॉट नं 74, **पश्चिमः** सरकार से प्लॉट और निकास, **उत्तरः** प्लॉट नं. 72, **दक्षिणः** रास्ता 9 मीटर चौड़ा और निकास। **ज्ञात भारः शून्य।** आरक्षित मूल्यः 13,44,000 अग्रिम धनराशिः 1,34,400 सांकेतिक
7.	**ऋणी: श्री लोकेश कुमार हिरनी** पुत्र गोवरधन लाल हिरनी (सीनी–बंधककर्ता में ऋणी और गारंटर), पताः विला–प्लैट नंबर–301, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर–107, ए1, एकता गोल्ड अपार्टमेंट, राधा विहार, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005, **सह–ऋणी: श्री नीरज हिरनी**, पताः विला–प्लैट नंबर–301, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर–107, ए1, एकता गोल्ड अपार्टमेंट, राधा विहार, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005, **गारंटरः श्रीमती कविता देवी हिरनी**, पताः ए–36, रश्मी नगर, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005, **ऋणी: मेसर्स गोवर्धन सुही सेंटर** (प्रोप–श्री गोवर्धन लाल हिरनी, तिवारी मार्केट, सुभाष बाजार, जामा मस्जिद, आगरा, उत्तर प्रदेश 282002. **इसके अलावा** ए–36, रश्मी नगर, कमला नगर, उत्तर प्रदेश, आगरा 282005, **ऋणी:** श्री गोवर्धन लाल हिरनी – ए–36, रश्मी नगर, कमला नगर, उत्तर प्रदेश, आगरा 282005. **बकाया राशिः रू. 40,23,853.28 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	**संपत्तिः** फ्लैट संख्या–301 का सांयिक बंधक भाग, तृतीय मंजिल, प्लॉट संख्या– 107, ए–1, खसरा संख्या–353/2 का भाग, राधा विहार (एकता गोल्ड), कमला नगर, मौजा धनरुवन मुसरूखिल, हरिपर्वत वार्ड, आगरा, जिसका क्षेत्रफल 111.47 वर्ग मीटर, **मालिक का नामः** श्री लोकेश कुमार हिरनी। **विक्रय विलेख के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः** फ्लैट संख्या–302, **पश्चिमः** खुला भाग, **उत्तरः** कोरिडोर और निकास, **दक्षिणः** खुला भाग। **ज्ञात भारः शून्य।** आरक्षित मूल्यः 27,20,000 अग्रिम धनराशिः 2,72,000 सांकेतिक

नीलामी की दिनांक 27.10.2026 को समय प्रातः 11:00 से सांय 05:00 बजे तक

नियम और शर्तें 1. यह ई-नीलामी पीएसबी अलायंस द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी में भाग लेने के लिए, बोलीदाताओं को वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित उचित और पूरी जानकारी प्रदान करके पंजीकरण करना होगा। 3. बोलीदाताओं के पास वैध पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 4. सफल पंजीकरण के बाद बोलीदाता को प्रत्येक संपत्ति के लिए निर्धारित बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। 5. बोली लगाने वाले निर्धारित नीलामी अवधि के दौरान संपत्ति पर बोली लगा सकते हैं। 6. नीलामी अवधि के अंत में उच्चतम बोली लगाने वाला ही विजेता घोषित किया जाएगा और इस संबंध में सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाएगी, जो बैंक के अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी। विजेता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) जमा करना होगा। बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा बैंक द्वारा ज़ब्त की गई ईएमडी सहित) जब्त कर लिया। भुगतान गलत में चूक होने पर संपत्ति दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को दी जा सकती है या पुनर्विक्रय की जा सकती है और चूक करने वाले क्रेता का कोई दावा नहीं होगा। संपत्ति पर देय सभी वैधानिक और अन्य शुल्क क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. यदि बिक्री की कारण से बिक्री की पुष्टि नहीं होती है या उसे रद्द कर दिया जाता है, तो बोली लगाने वाले को बिक्री से संबंधित सभी आकस्मिक खर्चों का वहन करना होगा और क्रेता/बोली लगाने वाला किसी भी प्रकार के मुआवजे या हर्जाने का दावा करने का हकदार नहीं होगा। 8. इच्छुक पक्ष/बोलीदाता अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 9. संपत्ति की बिक्री के संबंध में बैंक / अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। बैंक बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. संपूर्ण विक्रय मूल्य के भुगतान और विक्रय संबंधी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, सफल क्रेता/बोलीदाता को विक्रय प्रमाण पत्र सरफेसी नियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार) जारी किया जाएगा। सफल क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए सभी लीजहोल्ड/फ्री/अचिंत्य के कर और शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आवश्यक व्यय आदि वहन करने होंगे। 11. यह सूचना उपरोक्त उधारकर्ताओं/जिंगीदाताओं/गारंटरों को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8 (6)/6(2)/9 (1) के तहत भी दी गई सूचना है। 12. बोली लगाने वाले अपनी पसंद के स्थान से ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था बोली लगाने वाले के स्वयं करनी होगी, बैंक सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटाबेस क्रैश, बिजली प्रदाय होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। 13. इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के खुलने के अलावा बिक्री की प्राधिकार द्वारा संपत्ति पर किसी भी दावे, शुल्क और भार के संबंध में सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के वास्तविक, विस्तार, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। 14. यदि उधारकर्ता बिक्री की तारीख से पहले बैंकों को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी को रोका/ रद्द किया/वापस लिया जा सकता है। 15. यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 में निर्धारित शर्तों और इस संबंध में भारत सरकार के विदेशों के अनुरूप में बैंकों के दिशानिर्देशों के अधीन होगी। 16. संयुक्त मूल्यांक के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी और संयंत्र और मशीनरी के लिए बोली पर तभी विचार किया जाएगा जब भूमि और भवन के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होगी। 17. बोली की कीमत आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए और बोलीदाता को भविष्य में अपनी पेशकश को 10,000 रुपये के गुणक में सुधारना होगा। 18. यदि बिक्री लॉट की अंतिम बोली राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो नीलामी खरीदार को बैंक को अंतिम भुगतान करने समय आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए के अनुसार अचल संपत्ति के विक्रय मूल्य का 1प्रतिशत टीडीएस (स्रोत कटौती) काटकर आयकर विभाग को बैंक ऑफ इंडिया पैन संयंत्र AAACB0472C के नाम से जमा करना होगा और बैंक को चालान / कटौती की प्रतिलिपि और फॉर्म 26qb अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। खरीदार को अन्य सभी लागू वैधानिक कर, देय राशि, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर, सोसायटी शुल्क और अन्य सभी समान शुल्क भी वहन करने होंगे। 19. अंग्रेजी संस्करण और स्थानीय भाषा के संस्करण में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। 20. बोलीदाताओं को ई–नीलामी के दिन ऑनलाइन बोली लगा सकने समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किसी भी स्थिति में, एक बार बोली जमा हो जाने पर बोलीदाता जमा की गई राशि के लिए बाध्य होगा / होंगी और किसी भी अनुरोध / संवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

उधारकर्ता / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त राशि का भुगतान उद्ग्रहन ब्याज और अन्य संबंधित खर्चों सहित ई–नीलामी की तिथि से पहले कर दें। अन्यथा, सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि हो तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक 11.10.2026 — प्राधिकृत अधिकारी

नवरात्र में 'सच्चामोती' साबूदाना और मोरधन की मांग बढ़ी

नई दिल्ली (वि)। नवरात्र के आगमन के साथ ही शहर के बाजारों में त्योहारी रौनक बढ़ गई है। व्रत और उपवास की तैयारियों के बीच सच्चामोती साबूदाना और मोरधन जैसे फलाहारी उत्पादों की मांग में तेजी आई है। ट्रेडिंगयां शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पसंदीदा ब्रांड की खरीदारी कर रही हैं।

शिव ट्रेडिंग कंपनी (डीलर) के निदेशक राजकुमार साबू ने बताया कि नवरात्र में बड़ी संख्या में परिवार नौ दिनों का उपवास रखते हैं। इससे सच्चामोती साबूदाना और मोरधन जैसे सात्विक आहार की मांग बढ़ जाती है। सच्चामोती साबूदाना से स्वादिष्ट खिचड़ी, क्रिस्पी वड़ा, टिक्की और मीठी खीर जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं।

व्यावसायिक गतिविधि

सच्चामोती मोरधन (समा के चावल) अपनी पौष्टिकता के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग इससे पुलाव, खिचड़ी और टिक्की बनाना पसंद करते हैं। यह ब्रांड वर्ष 1972 से गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। शिव ट्रेडिंग कंपनी और रॉयल रतन इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के उत्पादों की बाजार में मजबूत पकड़ है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक : 3486/ईए–पीdबी0/2026 दिनांक : 28.09.2026

ई–निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के "ए, बी, सी, डी" (रोड साइनेज) श्रेणी के पात्र पंजीकृत निविदादाताओं से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रम	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	जनपद आगरा के ग्रामीण भाग में विभिन्न मार्गों पर मार्ग सुरक्षात्मक कार्य।	6.50	0.65	निविदा का मूल्य रू0 225.00 + जीएसटी@18% रू0 41.00 + स्टेशनरी, 02 माह वार्ता रू0 500.00 = रू0 766.00	02 माह

1. बिड डाक्यूमेन्ट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 15.10.2026 से 21.10.2026 तक उपलब्ध है जो कि दिनांक 21.10.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं। इसकी तकनीकी बिड दिनांक 21.10.2026 को 12.30 बजे खोली जायेगी।
2. निविदा से सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(आरoएसo वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा

www.upgov.nic.in
Upid- 257902 Dt. 09.10.2026

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद
गोकरननाथ रोड, बादशाहबाग, लखनऊ–226007

पत्रांक: 1265(4) आरजीएम–मैत्री/यूपीएलडीबी/2026–27 दिनांक: 09.10.2026

विज्ञप्तिः स्वरोजगार हेतु मैत्री प्रशिक्षण

उ0प्र पशुधन विकास परिषद के पत्रांक: 475/आरजीएम–मैत्री/यूपीएलडीबी/2026 दिनांक 18.06.2026 के माध्यम से **स्वरोजगारी मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया)** के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त पत्रांक के क्रम में वांछित अभ्यर्थियों के लिये विज्ञप्ति पुनः जारी करायी जा रही है।

मैत्री आवेदन से संबंधित आवेदन–पत्र, नियम शर्तें, आवेदन–पत्र का प्रारूप ऑनलाईन पोर्टल https://maitriupldb.in/ पर निश्चित समयावधि के लिये उपलब्ध रहेगा। सुलभ संदर्भ हेतु स्वरोजगारी मैत्री के चयन प्रशिक्षण हेतु नियम व शर्तें, आदि परिषदीय वेबसाईट https://upldb.up.gov.in/ पर भी उपलब्ध रहेगी। मैत्री प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जायेगी।

मैत्री की स्थापना **पूर्णतः स्वरोजगार सृजन** की अवधारणा पर आधारित है। फलतः चयनित एवं प्रशिक्षित मैत्री का किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा **(जैसा की शपथ पत्र में वर्णित)।**

(उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा जारी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है अर्थात यह पूर्णतः निःशुल्क है।)

यदि कोई अन्य संस्था इस प्रकार के आवेदन–पत्र जारी कर कोई शुल्क मांगती है अथवा किसी आवेदक द्वारा किन्ही अन्य भ्रामक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है तो ऐसी किसी भी दशा में उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, लखनऊ इसके लिये किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।

मैत्री चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन केवल उपरोक्त वर्णित पोर्टल https://maitriupldb.in/ पर ही मान्य है, ऑफलाईन आवेदन किसी भी दशा में जनपद एवं परिषद मुख्यालय पर स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त पोर्टल पर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात प्राप्त प्रिन्ट आउट आदि संबंधित जनपद के विकास भवन में जमा किये जा सकेगें।

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया दिनांक–12.10.2026 से 31.10.2026–रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित है, "जिसे यथा आवश्यकता दिन आगे भी बढ़ाया जा सकता है"।

डा0 प्रमोद कुमार सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता आगरा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा

ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना

पत्रांक : 6349/14एम0–आगरा0/2026 दिनांक– 29.09.2026

1. महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से, अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो.नि.वि., आगरा, द्वारा निम्नलिखित में अंकित निर्माण कार्य की ऑनलाइन निविदा मात्रकर दरों के आधार पर (on item rate basis) (SBD) आमंत्रित की जाती है। निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह बिड डाक्यूमेंट में उल्लिखित शर्तें, निविदा की सामान्य शर्तें, कॉन्ट्रैक्ट डाटा में दिये गये विवरण, अन्य शर्तें, तकनीकी विशिष्टियां, बिल ऑफ क्वांटिटी एवं आईटीबीपी के ऐक्सेप्ट/एक्सेप्टेंस इत्यादि का सुचीपत्र संज्ञान लेने के उपरान्त ही निविदा डालेंगे।

2.

क्र. सं.	उपनाम का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू0 में) निर्माण लागत	अनुमान लागत (लाख रू0 में)	कुल लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्ष/ माह/ दिवस)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	एकाएचए–3 से गढ़ी पूरनमी, कुतौलिया पूर, इमानपुर खेरनी, कर्नवाहट मार्ग के किमी–11(600), 13(500), 14, 15, 16(700), 17(600), 18(250), 19(150) (अपीलमण्ड) में पीबीएम एवं सुदृढीकरण का कार्य।	580.00	14.50	594.50	11.89	स्टेशनरी चार्ज + टैक्स@ + जीएसटी = रू0 2364.00	08 माह (वर्ष/ कुछ नहीं)